HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10465/2026
CNR: RJHC020629082026 | URN: CRLMB / 19403U / 2026

Mrs. Aarti Sansi W/o Mr. Akash Sansi, Aged About 25 Years, R/o Dangarwada Police Station Andhi, Currently House Number 255, Vedpuri Colony, Kachhi Basti, Aamagad, Delhi Bypass Road, Police Station Transport Nagar, District Jaipur.
(At Present Confined At District Jail Jaipur).

----Petitioner/Accused

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girraj Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

23/07/2026

प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना आंधी जिला जयपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 66/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में पेश किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रकरण में धरमू के कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा का मादक पदार्थ स्मैक कुल 5.83 ग्राम जब्त हुआ है। धरमू का जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता पर यह आरोप है कि उसने मादक पदार्थ स्मैक की आपूर्ति सहअभियुक्त धरमू को की थी। प्रार्थीया/अभियुक्ता 25 वर्षीय महिला है और उसकी 8 माह की एक छोटी पुत्री है, जिसकी देखभाल व संरक्षण की जिम्मेवारी प्रार्थीया/अभियुक्ता की है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध 2 प्रकरण एन.डी.पी.एस. अधिनियम से संबंधित लंबित हैं। अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में सहअभियुक्त धरमू के कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा का मादक पदार्थ स्मैक जब्त हुआ है, जिसका जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता पर मादक पदार्थों की आपूर्ति करने के अपराध का आरोप है। प्रार्थीया/अभियुक्ता 25 वर्षीय महिला है और उसकी 8 माह की एक छोटी पुत्री है, जिसकी देखभाल व संरक्षण की जिम्मेवारी प्रार्थीया/अभियुक्ता की है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। यद्यपि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध पूर्व में अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, तथापि Prabhakar Tewari Vs. The State of Uttar Pradesh; AIRONLINE 2020 SC 96 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार केवल मात्र पूर्व में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थीया/अभियुक्ता की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध पूर्व में 2 प्रकरण एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अपराध से संबंधित दर्ज होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीया/अभियुक्ता को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीया/अभियुक्ता **श्रीमती आरती सांसी पत्नी श्री आकाश सांसी** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे निम्न शर्तों के अधीन हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावेः–

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थीया/अभियुक्ता अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रही है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगी व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करती है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगी।

2. प्रार्थीया/अभियुक्ता प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। संबंधित थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थीया/अभियुक्ता की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन (अवकाश होने पर अगले दिन) संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा।

3. यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता उक्त शर्त का उल्लंघन करती है या ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति करती है या उसमें लिप्त पायी जाती है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्ता की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को अनुपालना हेतु भेजी जावे तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (Criminal) No. 04/2021 In Re Policy Strategy for Grant of Bail & SLP (Cri.) No. 529/2021 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में प्रार्थीया/अभियुक्ता को सूचित करने हेतु इस आदेश की प्रति संबंधित कारागृह को जरिये ईमेल प्रेषित की जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

9/KISHAN SONI